सभी देशवासियों के नाम खुला पत्र: अनेक लोग रोज़ आवाज़ उठायेंगे

-7 अक्टूबर , 2019

सांस्कृतिक समुदाय के हमारे 49 साथियों पर केवल इसलिए FIR दर्ज़ कर दी गई है क्योंकि उन्होंने समाज के एक ज़िम्मेदार नागरिक होने का उदाहरण दिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री को देश में हावी हो रहे भीड़तंत्र और मॉब लिंचिंग पर एक खुला पत्र लिखा था।

क्या यह देशद्रोह है? या एक साज़िश है न्यायालयों का इस्तेमाल कर देश के ज़िम्मेदार नागरिकों की आवाज़ दबाने की?

हम सभी जो भारतीय सांस्कृतिक समुदाय का हिस्सा हैं, एक विवेक पसंद नागरिक होने के नाते, इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हम अपने साथियों द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र के हर एक शब्द का समर्थन करते हैं। इसलिए वह पत्र हम एक बार फिर साझा करते हुए सांस्कृतिक , शैक्षणिक और विधिक समुदाय से अपील करते हैं कि वे इसे आगे बढ़ाएं। हम जैसे अनेक, रोज़ आवाज़ उठाएंगे। मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़। प्रतिरोध पर हमले के ख़िलाफ़। दमन के लिए कोर्ट के इस्तेमाल के ख़िलाफ़। क्योंकि आवाज़ उठाना ज़रूरी है।

अपर्णा सेन, अडूर गोपालकृष्णन, श्याम बेनेगल, अनुराग कश्यप, आशीष नंदी और रामचंद्र गुहा सहित 49 प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा 23 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री मोदी को लिखा गया पत्र:

हम, इस देश के शांति पसंद और ज़िम्मेदार नागरिक होने के वास्ते देश में घट रही अमानवीय और दुखद घटनाओं से आहत है।

हमारा संविधान भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में प्रस्तुत करता है जहाँ हर जाति, वर्ण, धर्म और लिंग के लोग बराबर हैं। ताकि हर नागरिक संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का फ़ायदा उठा सके, हम निवेदन करते हैं कि :

१) मुस्लिमों, दलितों और अन्य अल्पसंख्यकों की हो रही लिंचिंग पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 में दलितों के खिलाफ़ उत्पीड़न की 840 घटनाएँ हुईं। लेकिन इन मामलों के दोषियों को मिलने वाली सजा का प्रतिशत कम हुआ। जनवरी 2009 से 29 अक्टूबर 2018 तक धार्मिक पहचान के आधार पर 254 घटनाएँ हुईं। इसमें 91 लोगों की मौत हुई जबकि 579 लोग घायल हुए। मुस्लिमों (कुल जनसंख्या के 14%) के खिलाफ़ 62% मामले, ईसाईयों (कुल जनसंख्या के 2%) के खिलाफ 14% मामले दर्ज किए गए। मई 2014 के बाद से जबसे आपकी सरकार सत्ता में आई, तब से इनके खिलाफ़ हमले के 90% मामले दर्ज हुए।

आपने इन मॉब लीचिंग्स का संसद में खंडन किया है पर यह पर्याप्त नहीं है। इन अपराधियों के खिलाफ़ क्या कदम उठाए गए हैं ? हम लगता है कि इन घटनाओं को गैर-ज़मानती अपराध घोषित करते हुए तत्काल सजा सुनाई जानी चाहिए। यदि हत्या के मामले में बिना पैरोल के मौत की सजा सुनाई जाती है तो

फिर लिंचिंग के लिए क्यों नहीं? यह ज़्यादा जघन्य अपराध है। नागरिकों को डर के साए में नहीं जीना चाहिए।

इन दिनों "जय श्री राम" हिंसा भड़काने का एक नारा बन गया है। इसके नाम पर मॉब लिंचिंग की घटनाएँ हो रही हैं। यह दुखद और आश्चर्यजनक भी है कि धर्म के नाम पर इतनी हिंसक घटनाएँ हो रही है। हम मध्य काल में नहीं जी रहे हैं। राम का नाम इस देश के बहुसंख्यक समुदाय के अनेक लोगो के लिए पूज्य है। इस देश की सबसे बड़ी कार्यपालिका होने के नाते, राम के नाम के इस दुरुपयोग पर आपको तत्काल रोक लगानी चाहिए।

२) मतभेद के बिना लोकतंत्र कैसा? सरकार के विरोध के नाम पर लोगों को 'राष्ट्र-विरोधी' या 'शहरी नक्सल' नहीं कहा जाना चाहिए और न ही उनका विरोध करना चाहिए। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। असहमति जताना इसका ही एक भाग है।

सत्तारुढ़ दल की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। कोई भी सत्तारुढ़ दल देश का पर्यायवाची नहीं है। वह देश की अन्य राजनीतिक पार्टियों में से एक है। इसलिए सरकार के विरोध को देश द्रोह नहीं माना जा सकता। एक ऐसा समाज जहाँ प्रतिरोध को कुचला न जाए , एक मज़बूत राष्ट्र के निर्माण में सहायक होता है।

हमे उम्मीद है कि हमारे सुझाव को सही मायनों में लिया जाएगा। इस देश के नागरिक होने के नाते हम इस देश के भविष्य को लेकर चिंतित और परेशान हैं।